फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भंवरसिंह **विपक्षी : श्री शिखर कुमार**

किस्म मुकदमा –विविध आ.9नि.13 **पत्रावली संख्या : 71/25**

जीसीएमएस : 2025/262

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 15.07.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। मूल पत्रावली संख्या 26/20 वाद उनवान शिखर बनाम माधुसिंह का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 26.03.2025 को एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। जहां तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के विलम्ब का प्रश्न है। प्रार्थी का कथन है कि तामील परोपर नही होने से प्रकरण के संबंध में जानकारी नही थी। प्रकरण की जानकारी होते ही अविलम्ब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। जिससे की किसी भी पक्षकार के हित प्रभावित नही हो इसके लिए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा सके। इस कारण अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त प्रकरण में तामील विधिवत नहीं होने से मुझ प्रार्थी को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी। मुझ प्रार्थी को जानकारी तहसीलदार मावली द्वारा सूचना पत्र भेजे जाने पर हुई। जिसके पश्चात् मूल वाद की प्रतिलिपि प्राप्त कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया। मैं प्रार्थी जानबुझकर प्रकरण में अनुपस्थित नहीं रहा। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मूल वाद में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये थे जिसमें प्रार्थी की तामील पर लेने से इंकार अंकित किया गया है। प्रार्थी को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए था परन्तु प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी ने तामील लेने से इन्कार नही किया। जिससे उनको सूचना नहीं दी गई। सूचना प्राप्त होते ही प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। मामला कृषि भूमि में सम्पति के बंटवाडे का हैं। प्रार्थी का कथन है कि प्रकरण में प्रार्थी को नहीं सुना जायेगा तो प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय डिक्री जारी की गई हैं। इसलिए	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रकरण को गणावगुण पर निर्णित करने के लिए प्रार्थी को सुना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम के स्वीकार किये जाकर मूल वाद प्रकरण संख्या 26/20 वाद उनवान शिखर बनाम माधुसिंह में जारी निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26.03.2025 को अपास्त किया जाता हैं। प्रार्थी मूल वाद में अपना जवाब आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से पेश करें। जरिये अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि मूल वाद में पेशी दिनांक 22.07.2025 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:12 IST
Reason: SelfAttested